उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का एक उपकम)

पंजीकृत कार्यालयः–: विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010।

Phone: 0522 -2307826,28
Fax No: 0522-23078595
Mail: upstatesugarcorporation@gmail.com
website:www.upsugcorp.com
Toll free: 1800-212-3203

Twitter: https://twitter.com/website
Youtube: https://bit.ly/2kmgpsl
facebook: www.facebook.com/upcane
website: www.up.cane.gov.in

GST No. 09AAACU3394C2ZC

स्कैप/एसएससी/मोहि./ई–ऑक्शन संख्या–01/2021 दिनांक 29.05.2021

निष्प्रयोज्य स्कैप सामग्री के विकय हेतु ई–ऑक्शन आमंत्रण सूचना

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0 के अधीन मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल (जनपद–मेरठ) में उपलब्ध विभिन्न निष्प्रयोज्य स्कैप सामाग्री जैसे– एम.एस. स्क्रैप, सी.आई. स्क्रैप, सी.एस. स्क्रैप, टूटे–फूटे–मुड़े–सड़े–गले टिन/जी.आई. शीट, पुराने स्कैप मोटर कॉपर वॉयर सहित, एल्यूमीनियम के टूटे–फूटे केबिल, आयरन टर्निंग (मिट्टी युक्त), निकिल स्कीन पुरानी, वैक्यूम फिल्टर जाली, एल्यूमीनियिम ट्रे एवं पूरानी प्रयुक्त ब्रास ट्यूब स्कैप का विकय भारत सरकार के उपकम मैसर्स एम.एस.टी.सी. लि. द्वारा दिनांक 11.06.2021 को अपरान्ह 12–30 बजे से अपरान्ह 4–30 बजे तक ई–ऑक्शन के माध्यम से किया जायेगा।

इच्छुक केता पंजीकरण एवं पूर्ण जानकारी हेतु मैसर्स एम.एस.टी.सी. लि0 के लखनऊ स्थित कार्यालय– द्वितीय तल, सेन्टर कोर्ट बिल्डिंग, 3/सी, 5 पार्क रोड, सिविल अस्पताल के सामने, हजरतगंज लखनऊ से सम्पर्क कर सकते है अथवा मैसर्स एम.एस.टी.सी. लि0 की वेबसाइड– **www.mstcecommerce.com** पर विजिट कर सकते हैं। केता दूरभाष सं0– 0522–4240445 एवं मोबाईल नं0 8697340367पर भी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

ई–आक्शन सम्बन्धी विस्तृत जानकारी हेतु केता चीनीं निगम के वेबसाइट www.upsugcorp.com पर भी विजिट कर सकते हैं।

प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का एक उपकम)

पंजीकृत कार्यालयः-: विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010।

Phone: 0522 -2307826,28
Fax No: 0522-23078595
Mail: upstatesugarcorporation@gmail.com
website:www.upsugcorp.com
Toll free: 1800-212-3203

Twitter: https://twitter.com/website
Youtube: https://bit.ly/2kmgpsl
facebook: www.facebook.com/upcane
website: www.up.cane.gov.in

GST No. 09AAACU3394C2ZC

मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल में निष्प्रयोज्य स्कैप सामग्री को ई-आक्शन के माध्यम से विक्रय करने हेतु नियम व शर्ते

1- चीनी मिल में उपलब्ध स्कैप पूर्णतः **"जहॉ है जैसा है"** के आधार पर तौल कर विकय किया जायेगा। समस्त स्कैप को इस पूर्व धारणा के आधार पर विकय किया जा रहा है कि ई-आक्शन से पूर्व निविदादाता/ केता द्वारा इकाई में जाकर स्कैप का भलीभॉति निरीक्षण कर लिया गया है।

2- चीनी मिल में उपलब्ध विभिन्न स्कैप आइटम्स की मात्रा के अनुसार ई-आक्शन के पूर्व जमा की जाने वाली धरोहर धनराशि **(प्री बिड ई.एम.डी.)** का श्रेणीवार विवरण निम्नवत् हैः-

कम सं.	स्कैप सामग्री का विवरण	विकय योग्य अनुमानित मात्रा	प्री बिड ई. एम.डी.
	ग्रुप-अ		
1.	एम.एस. स्कैप	40.00 मी. टन	रू. 50,000.00
	ग्रुप-ब		
1.	पुराने स्कैप मोटर कॉपर वॉयर सहित	14.00 मी. टन	रू. 65,000.00
	ग्रुप-स		
1.	पुरानी प्रयुक्त ब्रास ट्यूब स्कैप	4.00 मी. टन	रू. 70,000.00
	ग्रुप-द		
1.	सी.आई. स्कैप (पुराने सी.आई. वाल्व बॉडी सहित) (एम.एस. स्कैप के साथ मिला हुआ है)	1.00 मी. टन	रू.22,000.00
2.	सी.एस. स्कैप	2.00 मी. टन	
3.	टूटे-फूटे-मुड़े-सड़े-गले टिन/जी० आई० शीट	1.00 मी. टन	
4.	अल्युमिनियम टूटे-फूटे केबिल	1.00 मी. टन	
5.	आयरन टर्निंग (मिट्टी युक्त)	3.00 मी. टन	
6.	निकिल स्क्रीन पुरानी	150.00 किग्रा.	
7.	वैक्यूम फिल्टर जाली	260.00 किग्रा.	
8.	एल्यूमिनियम ट्रे	750.00 किग्रा.	

3- चीनी मिल में उपलब्ध स्कैप की मात्रा/वजन में किसी कमी या अधिकता की जिम्मेदारी निगम/इकाई की नही होगी। स्कैप केता को स्कैप का इकाई में पूर्व निरीक्षण करके अपने को पूर्णतया संतुष्ट कर लेना होगा बाद में किसी प्रकार का कोई दावा स्वीकार नही होगा।

4- यदि स्कैप का वजन/मात्रा में आंशिक भिन्नता होती है तो उसका समायोजन अन्तिम उठान में इकाई द्वारा किया जाएगा। यदि स्कैप की मात्रा में बढोत्तरी पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में बढी हुई मात्रा के मूल्य एवं कर आदि का अग्रिम पूर्ण भुगतान प्राप्त होने के उपरान्त ही बढी हुई मात्रा की उठान करायी जायेगी।

5– क्रेता द्वारा स्क्रैप सामग्री के मूल्य के अतिरिक्त नियमानुसार समस्त कर यथा– **जी.एस.टी. (18 प्रतिशत)** एवं आयकर **(1 प्रतिशत)** पृथक रूप से देय होगा। यदि उक्त दर परिवर्तित होती है तो तत्समय प्रचलित दरें ही देय होंगी। इसके अतिरिक्त स्क्रैप सामग्री के उठान के समय यदि सरकार द्वारा अन्य कोई कर आरोपित किया जाता है, तो उसकी भी देनदारी स्क्रैप क्रेता की होगी।

6– सफल स्क्रैप क्रेता को स्क्रैप आईटम्स के कुल मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि बिड स्वीकृत होने के 7 दिनों के अन्दर एम.एस.टी.सी. ई–पेमेन्ट गेट वे के माध्यम से आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. करना होगा तथा अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि आगामी 10 दिनों के अन्दर सभी करों के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। यदि क्रेता द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि निर्धारित समयावधि में जमा नही की जाती है तो क्रेता की धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि क्रेता द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष धनराशि निर्धारित समयावधि में जमा नही की जाती है तो उसके द्वारा पूर्व में जमा की गई धरोहर धनराशि व 25 प्रतिशत धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा।

7– स्क्रैप क्रेता द्वारा विक्रय आदेश की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर समस्त स्क्रैप की उठान कर लेना होगा। निर्दिष्ट अवधि में क्रेता द्वारा स्क्रैप उठान न करने की स्थिति में अधिकतम 15 दिन का समय विस्तार, स्क्रैप के कुल मूल्य का 02 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से स्क्रैप क्रेता से ग्राउण्ड रेन्ट चार्ज करने के पश्चात् किया जाएगा।

8– यदि क्रेता द्वारा क्रय किए गए स्क्रैप को निर्धारित अवधि में नही उठाया जाता है तो स्क्रैप के क्रय हेतु क्रेता द्वारा जमा की गई धरोहर धनराशि, तथा स्क्रैप के मूल्य के रूप में भुगतान की गई समस्त धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

9– क्रेता द्वारा जमा की गई धरोहर धनराशि की वापसी स्क्रैप सामग्री की संतोषजनक उठान पूर्ण हो जाने के उपरान्त की जायेगी।

10– विक्रय किए गए स्क्रैप की कटाई, छटाई, लदाई एवं उसके ट्रान्सपोर्टेशन आदि का कार्य क्रेता को अपने स्वयं व्यय पर वहन करना होगा।

11– स्क्रैप क्रेता द्वारा जमा की गई समस्त धनराशियों पर किसी भी प्रकार का ब्याज इकाई / निगम द्वारा किसी भी परिस्थिति में देय नही होगा।

12– स्क्रैप की उठान में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो निगम के प्रबन्ध निदेशक का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।

13– यदि ई–आक्शन में स्क्रैप विक्रय के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद क्रेता के साथ होता है तो उसका निपटारा लखनऊ जिले के न्यायालय क्षेत्र में होगा जहॉ सम्बन्धित चीनी मिल का मुख्यालय स्थित है।

14– स्क्रैप की उठान से सम्बन्धित कार्यो के निष्पादन के दौरान यदि क्रेता के किसी कर्मचारी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्क्रैप क्रेता का होगा। क्रेता के किसी कर्मचारी को चोट लगने अथवा कर्मचारी के दुघर्टनाग्रस्त होने पर उसकी क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व क्रेता का होगा।

15– क्रेता अथवा क्रेता की फर्म में कार्यरत कर्मचारी / अधिकारी जो कि स्क्रैप क्रेता द्वारा नामित किया गया हो, को ही स्क्रैप की उठान कराई जाएगी। उपरोक्तानुसार नामित प्रतिनिधि का नाम, पता व पदनाम की लिखित रूप से सूचना पहचान पत्र के साथ क्रेता द्वारा इकाई को उपलब्ध कराई जाएगी।

16– इकाई द्वारा स्क्रैप की उठान केवल कार्य दिवसों में प्रातः 8.00 बजे से 5.00 बजे सायं तक कराई जाएगी। स्क्रैप की निकासी / लदान हेतु आने वाले पंजीकृत वाहन का टेयर वेट / लदान / ग्रास वेट / निकासी इस हेतु गठित समिति के निरीक्षण में ही क्रेता को सुनिश्चित की जायेगी। चीनी मिल में उपलब्ध स्क्रैप सामग्री मे से यदि कोई मशीनरी पार्ट / यंत्र–संयंत्र चीनी मिल के उपयोगार्थ पाया जाता है, तो ऐसे मशीनरी पार्ट / यंत्र–संयंत्र को विक्रय न किये जाने का पूरा अधिकार चीनी मिल प्रबंधन को सुरक्षित है।

17– स्कैप आईटम्स हेतु स्कैप केता द्वारा ई–ऑक्शन में प्रस्तुत दर ई–ऑक्शन की तिथि से 30 दिन तक वैध रहेगी।

18– ई–ऑक्शन प्रकिया के दौरान चीनी निगम के प्रबन्ध निदेशक को किसी भी समय किसी भी बिडर/स्कैप केता अथवा समस्त बिडर्स/स्कैप केताओं की दर बिना कारण बताए एक या समस्त बिड्स को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

19– यथा–आवश्यकता उक्त नियम व शर्तों में आवश्यक शिथिलता/संशोधन का अधिकार प्रबंध निदेशक को सुरक्षित है।

20– ऐसा समझा जायेगा कि जिन बिडर्स/स्कैप केताओं द्वारा धरोहर धनराशि जमा करायी गयी है, उन्होंने ई–ऑक्शन के सभी नियम एवं शर्तो को भली–भॉति पढ़ और समझ लिया है एवं समस्त शर्ते उन्हें पूर्णतः स्वीकार्य है। बिडर्स द्वारा नियम व शर्तो को स्वीकार करने बाद ही बिड प्रस्तुत की गयी है।